

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हु
26.09.2015	<p>पत्रावली पेश हुई आधिकार उभापक- इप्लवत। जार्जिंग-पग अ-तर्त धार। 15। ली. पी. सी. प्प उभापक को पुन गमा। आधिकार जार्जिंग ने निवेदन किया कि अजार्जिंग-1 ने एर राजस्व वाद तिख्या- 03/2024 पतनी देवी बनाम बाबुबा सिंह गौमा जाखला हे असय तिख्या- 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1496, 1496/1715, 1507, 1508, 1509, 1516, 1518, 1519, 1529, 1530 जुमले रकबा 9.52 हेमरे व खवा तिख्या, 418, 421, 447, 478, 491 जुमले रकबा 7.91 हेमरे, खवा तिख्या- 514 रकबा 1.34 हेमरे बाबुबा एक दावा पेश किया गया था, जिसे हम जार्जिंग को ली अतिव्यती के तौर पर संयोजित किसे गये थे. लेकिन उक्त उमल का नोमिने एप अतिव्यतीमा को आज दिन तक नहीं किया, इसके अलावा जे जार्जिंग 2 डिजिट एवपक/प बाभुबाही एव जार्जिंग डिडी तिख्या दिनांक 22.04.2025 को व गार्जिंग हुके मंजूज कले व जार्जिंग डिडी तिख्या को कपास कले प्प जे जार्जिंग-पग। पेश किया है।</p> <p>कर: अलेमर खवा नगर मज्जा जाखला प्रवण तिख्या- 03/2024 बिअनवान-पतनी देवी बनाम बाबुबा सिंह लें अति एवपक/प</p>	



सहायक कलेक्टर, सांघौस, 0.
 (उपखण्ड अधिकारी सांघौर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए।

निर्दिष्ट व डिस्ट्रिक्ट निर्दिष्ट की डिप्लोमा-वॉरंट
को रोका जाये। अतः प्राचीन-पाठ्य-क्रम-सम्बन्धित
धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम के
अन्तर्गत लखनऊ सिटी नगर संपत्ति
कार्यालय व संपत्ति प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट
निर्दिष्ट दिनांक 22.04.2025 को अर्पण
दिया जाये। अर्थात् डिस्ट्रिक्ट की डिप्लोमा-वॉरंट
प्रमाण के अर्पण विषय नगर से
आगे के आदेश नहीं जारी हों। पूरा
प्राचीन पाठ्य-क्रम-सम्बन्धित धारा को
प्रमद के तहसिल जारी न की जाये।

प्राचीन-पाठ्य-क्रम-सम्बन्धित
नं. 151 सी.पी.सी. अधिनियम की जाकर वादिल
दफा 151

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)